

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्य प्रदेश

कमांक/अस्प.प्रशा./सेल-5/2018 1459  
प्रति,

भोपाल, दिनांक/9/9/2018

संचालक,  
जनसम्पर्क संचालनालय,  
भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषय:-शासकीय चिकित्सालयों/ ब्लड बैंक से लिक्विड बायोमेडिकल वेस्ट जैसे एसआईटिक, फ्लूरल फ्लूईड, कैंसर पेंशेन्टस फ्लूईड एवं एच.बी.एस.ए.जी, पॉजीटिव ब्लड बैंग एकत्रित करने के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञापन के प्रकाशन बावत्।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संलग्न विज्ञापन सूचना को प्रादेशिक/स्थानीय 03 प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 28/09/2018 के पूर्व प्रकाशित करने की कृपा करें।

संलग्न:- विज्ञापन सूचना की प्रति।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।

*Udum*  
संयुक्त संचालक, (अ.प्र.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

पृकमांक/अस्पप्रशा/सेल-5/2018/1460  
प्रतिलिपि :-सूचनार्थ

भोपाल, दिनांक/9/9/2018

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।

*Udum*  
संयुक्त संचालक, (अ.प्र.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्य प्रदेश

कमांक / अस्प.प्रशा. / सेल-5 / 2018


भोपाल, दिनांक / / 2018

::विज्ञप्ति सूचना::

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिनस्थ शासकीय चिकित्सालयों / ब्लड बैंक से लिक्विड बायोमेडिकल वेस्ट जैसे एसआईटिक, प्लूरल फ्लूईड, कैंसर पेंशेन्टस फ्लूईड, हेपेटाईटेस बी,सी पॉजीटिव ब्लड बैंग, एम्लाईकल कॉड ब्लड, डेगू, मलेरिया, चिकिनगुनिया एवं पॉजीटिव सीरम सेम्पल, एकत्रित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। शासकीय चिकित्सालयों / ब्लड बैंक से लिक्विड बायोमेडिकल वेस्ट एकत्रित करने की समस्त जबाबदारी एजेन्सी की होगी तथा एजेन्सी द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट एकत्रित करने के लिये इंडियन कॉउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आई.सी.एम.आर) द्वारा जारी ऐथिकल गाईडलाईन फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, इन हूमन सबजेक्ट, बायोमेडिकल वेस्ट नियम 2016 (संशोधन 2018), का पालन किया जाना होगा।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि, प्रशासन से उक्त कार्य हेतु प्राधिकृत संस्था / एजेन्सी द्वारा वित्तीय प्रस्ताव मय आवश्यक दस्तावेजों के साथ बंद लिफाफे में दिनांक 18/10/2018 समय सायं 05:00 बजे तक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें की अस्पताल प्रशासन शाखा, सतपुडा भवन, पंचम तल, भोपाल में जमा किये जा सकेंगे।

निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। किसी भी प्रकार के आवेदन को मान्य एवं अमान्य किये जाने के अधिकार आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, के पास सुरक्षित रहेंगा।

  
संयुक्त संचालक, (अ.प्र)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश